न्यायालय अपर जिला जज,प्रथम,जौनपुर
उपस्थितः श्री अनिल कुमार यादव,प्रथम एच0जे0एस0 ।
सिविल निगरानी संख्याः 12/2025
राधेश्याम ——————————बनाम——————————कमला देवी

निर्णय

प्रश्नगत सिविल निगरानी सिविल जज (जू0डि0) जौनपुर, कोर्ट नं0 20, जौनपुर द्वारा मूलवाद सं0 1313/1991 राधेश्याम बनाम महावीर में पारित आदेश दिनांकित 18.12.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

दौरान सुनवाई पक्षकार अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि मूल वाद संख्या 1313/1991 राधेश्याम बनाम महावीर की पत्रावली में वादी की ओर से प्रार्थनापत्र का0सं0 88क वाद पत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विपक्षी द्वारा आपत्ति 92 ग प्रस्तुत किया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने पक्षकारो को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकालते हुए कि संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो जायेगी, आदेश दिनांकित 18.12.2024 द्वारा निगरानीकर्ता/वादी का प्रार्थनापत्र 88क निरस्त कर दिया गया।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता की ओर से प्रश्नगत निगरानी संस्थित की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में सरसरी तौर से कथन करते हुए यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने मनमाने ढंग से आलोच्य आदेश पारित किया है। जहाँ तक निगरानीकर्ता द्वारा लिया गया उक्त आधार का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति बदलती है और वादी द्वारा जरिये संशोधन जोड़े जाने वाला अनुतोष समय सीमा अधिनियम से बाधित है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का सम्यक् परिशीलन के उपरान्त मा0 न्यायालय की विधि व्यवस्था के आलोक में आक्षेपित आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः विधिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.12.2024 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक—10.03.2026 **(अनिल कुमार यादव,प्रथम)**
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड—यू.पी. 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक—10.03.2026 **(अनिल कुमार यादव,प्रथम)**
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड—यू.पी. 6112

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.10 16:50:21 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court Jaunpur